

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

01
22/21

पत्रावली भेज हुई। वकील पार्थी उपस्थित। पत्रावली में अपाधीन के जमान हेतु मन्त्रिम अन्तर नियत होने के उपरान्त भी अपाधीन एवं उनके अधिकता अनुपस्थित उनके बिकर एक-तरफा कारिणी अमल में लार्ड गई। वकील पार्थी ने बहस का निवेदन किया। वकील पार्थी की एक-तरफा बहस सुनी गई। वकील पार्थी द्वारा न्यायालय द्वारा जारी मस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.12.19 को ताफेसला बाद कन्फर्म किने जाने हेतु निवेदन किया। न्यायालय ने अधिकता पार्थी की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में सुविधा का संतुलन, अप्रणयि हानि एवं प्राइमफेसिया पार्थीयोंके हुक में प्रतीत होता है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2019 को जारी मस्थायी निषेधाज्ञा ताफेसला बाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार हुकर नम्बर से कम हो एवं मूल गद के साथ संलग्न रहे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)